1. श्रीमती पूर्णिमा मेहरोत्रा पत्नी श्री राजकृष्ण मेहरोत्रा

2. श्रीमती संध्या मेहरोत्रा पत्नी श्री संजीव मेहरोत्रा

   दोनों निवासी उन्नत पुल के पास ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

3. श्रीकृष्ण मेहरोत्रा तनय श्री रामकृष्ण खत्री निवासी ग्राम बरही जिला कटनी म0प्र0 ----आवेदकगण

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन

2. क्षेत्रीय प्रमुख खनिज साधन विभाग म0प्र0 संचनालय भूमि तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा म0प्र0

3. जुगुल किशोर कनौडिया तनय स्व0 राधाकृष्ण कनौडिया निवासी जय स्तंभ चौक ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

4. नानकराम काकवानी तनय स्व0 गोपालदास काकवानी

5. घनश्याम काकवानी तनय स्व0 गोपालदास काकवानी

6. जवाहरलाल काकवानी तनय स्व0 गोपालदास काकवानी

7. श्रीमती इश्वरी खत्री पुत्री स्व0 गोपालदास काकवानी

   सभी निवासी पुराना बस स्टैण्ड तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

8. मेसर्स राजपूत गन सर्विस रीवा म0प्र0 द्वारा दलजीत सिंह पिता केशर सिंह निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

9. श्रीमती प्रभा मेहरोत्रा पत्नी जयकृष्ण मेहरोत्रा

10. आशीष मेहरोत्रा तनय जयकृष्ण मेहरोत्रा ----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 8/अ-74/स्व प्रेरणा निगरानी/2014-15 के सम्पूर्ण कार्य अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने बावत।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1555–दो/16 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
20–5–16	यह निगरानी जिलाध्यक्ष जिला रीवा के द्वारा संस्थित स्वप्रेरणा निगरानी कमांक 8/अ–74/स्व0निग0/2014–15 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में आवेदक एवं शासन व अन्य के अधिवक्तागण को सुना गया। जिलाध्यक्ष जिला रीवा द्वारा उपरोक्त स्वप्रेरणा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण कमांक 371/अपील/2008–09 में दिनांक 10.2.16 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के पालनार्थ दर्ज की गई है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का उपरोक्त आदेश इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 531–दो/16 दिनांक 19.2.16 द्वारा अपास्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष जिला रीवा द्वारा अपर आयुक्त के आदेशानुसार चलाई जा रही स्वप्रेरणा निगरानी विधिसम्मत नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जा कि प्रकरण में तहसीलदार हुजूर ने प्रभारी अधिकारी की हैसियत से अनुविभागीय अधिकारी रीवा केआदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी। अतः धारा–50 भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के	

अनुसार अपीली आदेश की स्वप्रेरणा निगरानी वर्जित होने के कारण अप्रचलनशील होकर शून्यवत(void-ab-initio) है।

3-निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानी के साथ जिलाध्यक्ष जिला रीवा द्वारा की गई कार्यवाहियों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है । जिससे स्पष्ट होता हे कि दिनांक 16.2.16 से प्रारंभ इस निगरानी में दिनांक 10.5.16 को तहसीलदार तहसील हुजूर ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है- तहसीलदार तहसील हुजूर स्वयं अपीलार्थी रहे है। अतः उनके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का कोई विधिक महत्व नहीं है, तथा अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह भी बनावटी तथा गलत है। आवेदकगण को प्रति आवेदकगण को प्रतिवेदन में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया गया जो प्रतिवेदन निरस्त योग्य है। साथ ही तहसीलदार तहसील हुजूर ने अपना प्रतिवेदन में पुराना आराजी नम्बर 187, 188, 189 (पुराना नम्बर 184) को भी स्वप्रेरणा निगरानी में लेने काकथन किया है जबकि उपरोक्त नम्बर 184 नए नम्बर 187, 188, 189 का नामान्तरण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 272/88-89 दिनांक 29.3.97 के आदेश का रिविजन समय वाधित है भी है।

4- स्वप्रेरणा निगरानी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.2015 को संयुक्त कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट0 वअन्य बनाम नरसिंह राव व अन्य में पारित निर्णय बंधन कारी हैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय दिल्ली माननीय टी0एस0 ठाकुर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि निगरानी के अधिकार युक्ति युक्त समय के अन्दर ही प्रयोग कियेजा सकते है बिलम्ब का कोई कारण बताये बिना कभी भी स्वप्रेरणा निगरानी के अधिकार उपयोग नहीं कर सकते। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महामहिम टी0एस0 ठाकुर ने अपने उपरोक्त न्याय सिद्धांत के पैरा 11 में प्रतिपादित किया गया है कि " To sum up delayed exercise of revisional jurisdiction is frowned upon because if actions of transactions were to remain forever for challenge it will mean avoidable and endless uncertainity in human affairs, which is not the policy of law. Even when there is no period of limitation prescribed for exercise of such powers, the intervering delay, may have led to creation of third party right that cannot be trampled by a belated exercise of a discretionary power when no cohent

explanation for the delay is in sihgt''

5- न्यायालय आर0के0 गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी तहसली हुजूर जिला रीवा के द्वारा दिनांक 28.12.85 को इन्हीं भूमियों के बावत आदेश किया था जिसमें तहसीलदार तहसील हुजूर के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.11.71 को भूमि खसरा न0 163, 164, 197, 185 में आवेदकगण के पूर्वाधिकारी का कब्जा होने से भूमिस्वामी घोषित किया गया। इस प्रकरण में तहसीलदार हुजूर ने 2006 में जब अपील एडिशनल को प्रस्तुत की तब उन्हें प्रकरण का पता लग चुका था ऐसी स्थिति अब इस न्यायालय के आदेश के बाद अब जिलाध्यक्ष जिला रीवा को स्व0 प्रेरणा निगरानी का अधिकार प्राप्त नहीं हैं स्वप्रेरणा अधिकारी न्याय दृष्टांतो के आलोक में अवधि बाधित हैं एवं अन्य व्यक्ति के आवेदन पर नहीं ली जा सकती क्यों कि जिस आदेश को स्व0 प्रेरणा में लिया गया है वह आदेश अपीलीय आदेश है निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा स्वप्रेरणा निगरानी 8/अ-74/स्वप्रेरणा/निगरानी/14-15 में की गई समस्त कार्यवाहियां शून्य व अवैध घोषित की जाती है तथाजिलाध्यक्षजिला रीवा की संपूर्ण कार्यवाही आदेश

दिनांक 16.2.16 अपास्त किया जाता है साथ ही भूमि क0200 क्षेत्रिय प्रमुख खनिज संसाधन विभाग को आवेदकगण को सुनवाई बिना एलाउठ की गई वह भी कार्यवाही व आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत केविरीत होने से निरास्त किया जाता है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य